OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA-800001

No. L.A. Sur./2943

Dated:- 04.01.2011

To

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department
Patna.

Sir,

Audit Report No. **647/10-11** on the accounts of **Nagar Panchayat, Shahpur** for the period **2006-07** to **2009-10** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours Sincerely

Encl:- As above

04.01.11
(Pankaj Kumar Choudhary)
Sr. Audit Officer/Surcharge

(20)

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्याः– 647/2010–11

नगर पंचायत, शाहपुर,

प्रस्तावना :–

नगर पंचायत, शाहपुर, जिला भोजपुर का वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2009–10 की अवधि का नमूना जॉच कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना के एक अंकेक्षण दल द्वारा दिनांक 16.09.2010 से 30.09.2010 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

लेखा वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक की अवधि के दौरान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यकाल निम्नलिखित थेः–

क0 सं0	अध्यक्ष का नाम	कार्यकाल
(क)	अध्यक्ष	
(i)	श्री शारदा नन्द सिंह	01.04.06 से 31.03.2010

क0 सं0	उपाध्यक्ष का नाम	कार्यकाल
(ख)	उपाध्यक्ष का नाम	
(i)	मो0 मुख्तार शाह	01.04.06 से 31.03.2010

क0 सं0	नाम	कार्यकाल
(ग)	कार्यपालक पदाधिकारी	
(i)	श्री विजय कुमार पाण्डेय	01.04.06 से 20.04.07
(ii)	श्री राम विनय शर्मा	20.04.07 से 11.05.07
(iii)	श्री अजय कुमार तिवारी	11.05.07 से 09.08.08
(iv)	श्री अनुरंजन कुमार गौतम	09.08.08 से 15.09.09
(v)	मो0 श्वबीर	15.09.09 से 19.11.09
(vi)	श्री मो0 वलागुद्दीन	19.11.09 से 31.03.10

19

3. **लेखा परीक्षा का परिक्षेत्र**

लेखा परीक्षा में उपलब्ध तथा नमूना जॉच की गयी अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट – I में तथा अनुपलब्ध या असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट – II में दिया गया है।

4. **पूर्ववत्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन**

लेखा परीक्षा में पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन उपलब्ध नहीं किया गया था। अतः कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान विशेषरूप से आकृष्ट कराते हुए सुझाव दिया जाता है कि पिछले लंवित सभी प्रतिवेदनों की कंडिकाओं का निराकरण प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय को शीघ्र भेजें।

5. **आन्तरिक लेखा परीक्षा**

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखा परीक्षा का प्रावधान है तथा बिहार नगर पालिका नियमावली, 1928 की धारा 20, 30, 32, 64 एवं 66 के लेखा नियम के तहत अध्यक्ष,, उपाध्यक्ष, एवं कार्यपालक पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों द्वारा समय–सयम पर लेखाओं की जॉच का स्पष्ट उल्लेख है। किन्तु लेखा परीक्षा में यह पाया गया की ऐसी कोई जॉच नहीं की गयी जिसके चलते अनेकों अनियमितताएँ पाई गई जिसे रोका जा सकता था।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी का विशेष ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि नियमित रूप से ऐसी जॉच सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितत की संभावना न रहें।

6. **महत्वपूर्ण अंकेक्षण उपलबिधयॉ**

क्0 सं0	कंडिका सं0	संक्षिप्त विवरण
1	08	43.67 लाख की राशि का रोकड़ बही में संधारण नहीं
2	09	निधि का अवरोधन 40.80 लाख
3	10	वसूली की राशि जमा नहीं 1.20 लाख
4	15	बन्दोवस्ती की राशि की हानि 0.87 लाख
5	20	नगर पंचायत द्वारा फर्जी विपत्र पारित

7. **आय– व्यय**

(क) सामान्य रोकड़बही

नगर पंचायत शाहपुर द्वारा वर्ष 2006–07 से 2009–10 के लिए संधारित सामान्य रोकड़बही के अनुसार आय–व्यय विवरणी निम्न थाः–

कमांक	विवरण	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1.	प्रा0 शेष	1187466	785114	1273130	622146
2.	प्राप्तियाँ				
(क)	स्टाम्प ड्यूटी	192476	36835	–	–
(ख)	स्वयं श्रोत	59517	366730	446112	273139
(ग)	व्याज	2470	–	4319	–
(घ)	अन्य	49892	56816	76917	121000
(ड़)	कुल प्राप्ति	304355	791931	527348.00	394139
3	कुल योग	1491821.00	1577045	1800478.00	–
4	व्यय				
(क)	स्थापना	694517	284762	1132213	167553
(ख)	अन्य	12190	19153	46119	121000
(ग)	कुल व्यय	706407	303915	1178332	288553
(5)	अंत शेष	7,85,114.00	12,733130,	6,22,146.00	7,27,732.00

P/L खाता का 31.03.10 को शेष 47,96,586.36 P/L खाता संख्यानहीं पाया गया।

अंतर = 4796586.36 – 727732 = 40,68,854 समाधान विवरणी नहीं बनाया गया था इसे बना कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

(ख) **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना** (SJSRY)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के रोकड़बही के अनुसार आय–व्यय विवरणी निम्न था। :–

कमांक	विवरण	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1.	प्रा0 शेष	1299180	1260522.00	1143139	1185589
2.	प्राप्तियाँ				
(क)	अनुदान	25000	–	–	–
(ख)	व्याज	16592	–	42615	16440
(ग)	अन्य	–	–	–	–
(घ)	कुल प्राप्ति	41592	–	42615	16440
3	कुल योग	1340772	1260522.00	1185754	1202029
4	व्यय				
(क)	योजना	15000	111992	–	–
(ख)	अन्य	65250	5391	165	12470
(ग)	कुल व्यय	80250	117383	165	12470
(5)	अंत शेष	1260522.00	1143139	1185589	1189559

बैंक खाता का 31.03.10 का शेष 356009 खाता सं0 – 5588 केनरा बैंक, शाहपुर

रोकड़ बही के अनुसार बैंक समाधान विवरणी निम्न था। –

बैंक खाता का शेष	356009
योजना में 2006–07 से पूर्व अग्रीम	839500
लेखा पाल के पास नगद	50
कुल –	**1189559**

(ग) राष्ट्रीय गंदी वस्ती विकास कार्यक्रम (NSDP)

रोकड़ बही के अनुसार आय–व्यय विवरणी निम्न था:–

कमांक	विवरण	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1.	प्रा0 शेष	992713	992713	633498	538255
2.	प्राप्तियॉ				
(क)	अनुदान	–	–	–	–
(ख)	व्याज	–	–	9257	9419
(ग)	अन्य	–	–	–	–
(घ)	कुल प्राप्ति	–	–	9257	9419
3	कुल योग	992713	992713	642755	547674
4	व्यय				
(क)	योजना	–	359215	104500	–
(ख)	अन्य	–	–	–	–
(ग)	कुल व्यय	–	359215	104500	–
(5)	अंत शेष	992713	633498	538255	547674

बैंक खाता के अनुसार 31.03.10 का शेष – 547674 खाता सं0 – 5589 केनरा बैंक शाहपुर –

(घ) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)

रोकड़ बही के अनुसार आय–व्यय विवरणी निम्न था:–

कमांक	विवरण	2008–09	2009–10
1.	प्रा0 शेष	शुन्य	827215
2.	प्राप्तियॉ		
(क)	अनुदान	822418	770184
(ख)	व्याज	4797	40437
(ग)	अन्य	–	–
(घ)	कुल प्राप्ति	827215	810621
3	कुल योग	827215	1637836
4	व्यय		
(क)	योजना	–	–
(ख)	अन्य	–	–
(ग)	कुल व्यय	–	–
(5)	अंत शेष	827215	1637836

76

बैंक खाता का शेष – 31.03.10 – 1637836 खाता सं0 5610 केनरा बैंक, शाहपुर

(ङ) **द्वादश वित्त आयोग (TFC),**

रोकड़बही के अनुसार आय–व्यय विवरणी निम्न था। :–

कमांक	विवरण	2007–08	2008–09	2009–10
1.	प्रा0 शेष	शुन्य	797812	775012
2.	प्राप्तियॉ			
(क)	अनुदान	797812	–	–
(ख)	व्याज	–	–	4557
(ग)	अन्य	–	–	–
(घ)	कुल प्राप्ति	797812	–	4557
3	कुल योग	797812	797812	779569
4	व्यय			
(क)	योजना	–	–	336960
(ख)	अन्य	–	22800	–
(ग)	कुल व्यय	–	22800	336960
(5)	अंत शेष	797812	775012	442609.00

बैंक खाता का शेष – 31.03.10 – 13965 केनरा बैंक, शाहपुर खाता सं0 – 5590

अंतर = 442609 – 13965 = 428644.00

टिप्पणी :– उपरोक्त प्राप्त अनुदान कि राशि में से 531874 P/L खाता में जमा की गयी थी। – बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाया गया था। इसे बना कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

8. **अनुदान**

नगर पंचायत शाहपुर, में अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था, इस कारण शुरू में अव्यवहृत अनुदान का शेष एवं वर्षान्त अव्यवहृत अनुदान का स्थिति का आकलन नहीं किया जा सका। यद्यपि विभिन्न रोकड़बहियों एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये कोषागार पंजी के आधार यह पाया गया कि वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक की अवधि में कुल 67,82,889.00 रू0 अनुदान प्राप्त हुआ था। जिसका विवरण परिशिष्ट – III पर दिया गया है

[टिप्पणी] टिप्पणी

वर्णित विवरणी के अनुसार निम्न राशि नगर पंचायत को विकास कार्य एवं अन्य कार्य हेतु अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था, एवं उक्त राशि को सीधे कोषागार में जमा किया गया था, एवं उस राशि को कोषागार से न तो निकासी की गयी थी, और नहीं किसी भी रोकड़बही में उसका संधारण किया गया था। रोकड़ बही में संधारण नहीं किया जाना एवं विकास की राशि का अवरोधन के सम्बन्ध में अंकेक्षण को नहीं बतलाया गया, साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि यदि राशि वर्षो तक व्यय करने में कठिनाई थी, तो उसे सम्वन्धित विभाग को वापस क्यों नहीं किया गया।

15

वर्ष	राशि	मद
2007–08	8,09,160	विधायक मद चापाकल हेतु
2008–09	61,800	पार्षद भत्ता
– do –	28,87,875	प्रशासनिक भवन निर्माण
2009–10	273420	द्वादश वित्त आयोग
– do –	273420	– do –
– do –	61800	पार्षद भत्ता
कुल –	**4367475.00**	

अतः नगर पंचायत के प्राधिकारी को यह सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त राशि को सम्बंधित रोकड़ बही में संधारण कराया जाय एवं यथा शीघ्र जिस मद एवं विकास कार्य के लिए राशि प्राप्त हुआ है, उस मद में व्यय किया जाए, अन्यथा राशि को सम्वन्धित विभाग एवं निकाय को वापस कर दिये जाए। एवं नगर पंचायत में अनुदान पंजी व अनुदान विनियोग पंजी का संधारण किये जाए जिसे अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाय।

9. निधि का अवरोधन

विभिन्न योजनाओं के रोकड़बही के नमूना जॉच के कम में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा प्राप्त राशि को सम्बन्धित योजनाओं में व्यय नहीं किया गया। साथ ही जो राशि नगर पंचायत क्षेत्र को विकास कार्य के लिए सरकार के द्वारा अनुदान स्वरूप प्राप्त हुआ था, उसे वर्षों तक अवरूद्ध रखा गया था। उक्त अनुदान की राशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण–पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। मद बार राशि का अवरोधन निम्न था।

मद	राशि	अवरोधन की अवधि
स्वर्ण जयन्ती शहरी रो0यो0	3,56,009	2008–09 – 2009–10
रा0ग0 वस्ती कार्यक्रम	5,47,674	2009–10
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	15,92,302	2008–09 एवं 2009–10
द्वादश वित्त आयोग	7,97,812	2007–08 से 2008–09

उपरोक्त योजना वार राशि को नियमानुसार योजना पर व्यय किया जाय या सम्बन्धित विभाग को वापस की जाय।

10. नहीं/कम जमा

नगर पंचायत शाहपुर के विभिन्न करों एवं शुल्कों के जॉच के कम में पाया गया कि 31.03.2010 तक भवन कर के मद में कर दाताओं से वसुल की गयी राशि में से कुल रू0 120141.00 नगर पंचायत के निधि में जमा नहीं किया गया था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट IV पर)

अतः नगर पंचायत के प्राधिकारी को यह सुझाव दिया जाता है कि कुल राशि रू0 120141/- की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से शीघ्र कराया जाय एवं जमा का विवरण अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाय।

11. भवन कर

नगर पंचायत शाहपुर में भवन कर व अन्य कर का मांग व वसुली पंजी का संधारण नहीं किया गया था, इस कारण पूर्व का वकाया एवं 31.03.10 का वास्तविक अवशेष का पता नहीं लगाया जा सका। नगर पंचायत के लेखापाल द्वारा प्रस्तुत की गयी 2006-07 से 2009-10 तक वर्ष बार वसुली का विवरण निम्न हैः-

वर्ष	भवन कर की वसुली की राशि
2006-07	**29344.00**
2007-08	118831.50
2008-09	4628.50
2009-10	16176.60

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर पंचायत द्वारा भवन कर की वसुली बहुत कम हुआ है। अतः नगर पंचायत के प्राधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि भवन कर की बकाया व अद्यतन वसुली हेतु आवश्यक कदम उठाया जाय।

12. पेशा कर

नगर पंचायत के द्वारा पेशा कर की वसुली हेतु मांग पंजी का संधारण नहीं किया गया था एवं नगर पंचायत क लेखा पाल द्वारा बताया गया कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से पेशा कर जमा करने आते है उनसे केवल जमा लिया जाता है। लेखापाल द्वारा उपलबध कराये गये विवरणी के अनुसार पेशा कर मद में वसुली गयी राशि का वर्ष बार विवरण निम्न है।

वर्ष	भवन कर की वसुली की राशि
2006-07	**400.00**
2007-08	100.00
2008-09	2500.00
2009-10	---
योग-	**3000.00**

नगर पंचायत के प्राधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि पेशा कर की वसुली के लिए सर्वे कराया जाय एवं मांग पंजी तैयार कर नियमित ढ़ग से वसुली हेतु कारवाई की जाय।

13. शिक्षा एवं स्वास्थ्य उप कर की राशी सरकारी कोष/निधि में जमा नहीं

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक शिक्षा एवं स्वास्थ्य उप कर में क्रमशः 84490.30 एवं 84490.30 कुल 168980.60 की वसुली की गयी थी जिसका वर्षबार विवरण निम्न है।

13.

वर्ष	शिक्षा उपकर	स्वास्थ उपकर
2006–07	14672.00	14672.00
2007–08	59415.75	59415.75
2008–09	2314.25	2314.25
2009–10	8088.30	8088.30
	84490.30	**84490.30**

अतः प्राधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य उप कर के मद में वसूल की गयी राशि 168980.60 में से 10% की राशि 16898.00 की वसुल करने के एवज में कटौती कर शेष 152082.60 सम्बन्धित सरकारी कोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। अतः उक्त जमा को अगले अंकेक्षण में दिखलाने तक राशि 152082.60 अंकेक्षण आपत्ति में रखी जाती है।

14. भवन कर का रसीद बही का भण्डार पंजी

नगर पंचायत शाहपुर के द्वारा भवन कर के रसीद बही, भण्डार पंजी आदि का संधारण नहीं किया गया था, इस कारण भण्डार में रसीद बही की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सका। उनका विवरण परिशिष्ट VI पर है।

15. बन्दोवस्ती

नगर पंचायत शाहपुर द्वारा बन्दोवस्ती की मांग व वसूली पंजी का संधारण याँ तो नहीं किया गया था या अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस कारण बन्दोवस्ती की राशि में पूर्व का बकाया वर्तमान मांग व वसूली एवं 31/03/10 को वास्तविक शेष की सही स्थिति से अवगत नहीं कराया जा सका।

अंकेक्षण में जो संचिकाएँ प्रस्तुत की गयी उसके नमूना जॉच के कम में पाया गया कि –

1. बन्दोवस्ती की राशि की वसूली नहीं

नगर पंचायत द्वारा टिन टिकट की बन्दोवस्ती वर्ष 2008–09 के लिए श्री रवि सिंह, पिता – श्री हरेराम सिंह, को बन्दोवस्ती की राशि 137010/– में किया गया था, बन्दोवस्ती धारी द्वारा 137010/– के विरूद्ध अबतक मात्र 50000/– की जमा किया गया था, जबकि एकरारनामा के अनुसार आधी राशि बन्दोवस्ती के समय एवं शेष राशि 6 माह बीत जाने के बाद एवं बन्दोवस्ती की अवधि समाप्ति के पूर्व जमा कर देना था, जो नहीं किया गया था

नगर पंचायत के पत्रांक 73 दिनांक 04/06/2009 के द्वारा बकाया राशि 87010/– जमा करने हेतु अन्तिम नोटिस जारी की गयी थी। पुनः दिनांक 03/07/09 को कार्यपालक पदाधिकारी का टिप्पणी पृष्ट 12 में प्रधान सहायक को यह आदेश दिया था कि जिला सर्टिफिकेट पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर विधि कि जानकारी प्राप्त करने एवं उसके उपरान्त अग्रेतर कारवाई हेतु संचिका प्रस्तुत करें, परन्तु अबतक किसी प्रकार की कारवाई नहीं किया गया। इस प्रकार नगर पंचायत को 87010/– का हानि हुआ।

(12)

अतः रू0 87,010/– को संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा कराई जाए।

16. योजना बार योजना की स्थिति

नगर पंचायत शाहपुर द्वारा वर्ष 2006–07 से 2009–2010 की अवधि में कार्यान्वित योजना का योजना बार भौतिक स्थिति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं किया गया न हीं योजना पंजी को ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। इस कारण योजना कि स्थिति अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

अतः कार्यान्वित योजना का वर्ष बार योजना पंजी का संधारण किया जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाय।

17. योजना पर व्यय (NSDP)

राष्ट्रीय गंदी वस्ती कार्यक्रम योजना के रोकड़बही के नमुना जॉच के कम में पाया गया कि 2006–07 से 2009 –10 में कुल राशि 4,63,715.00 का व्यय विभिन्न योजना पर किया गया था, परन्तु अंकेक्षण उक्त योजना का जॉच हेतु आवश्यक संचिका व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया था, जो निम्न है –

1. नेवरहुड कमिटी का चयन सम्बन्धित संचिका/अभिलेख
2. गन्दी वस्ती का वग्रीकरण का अभिलेख,
3. योजना अभिलेख/ पंजी।

अतः उपरोक्त पंजी व अभिलेख के अनुपस्थिति में कुल राशि 4,63,715/– व्यय का जॉच सम्भव नहीं था। अतः उक्त पंजी व अभिलेख जॉच हेतु अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाय तबतक व्यय सम्पूर्ण राशि 4,63,715.00 अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट VI पर देखे)

18. सौर उर्जा लाईट निर्माण (द्वादश वित्त आयोग)

रोकड़बही के अनुसार सौर उर्जा निर्माण के लिए मेसर्स शान्ति इन्टरप्राइजेज पटना को सीधे तौर पर भुगतान किया गया था, जो निम्न है –

कम0 सं0	चेक सं0	तिथि	राशि
1	864672	04/05/09	234000/–
2	048855	12/06/09	102960/–
		कुल –	336960/–

उपरोक्त भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख अभिश्रव आदि अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया था, क्योकि सौर उर्जा लाईट निर्माण की संचिका मुख्य पार्षद नगर पंचायत के पास था, जिसे नगर पंचायत द्वारा बार–बार नोटिस ज्ञापांक 47 दिनांक 05.04.10 एवं 89 दिनांक 29.07.10 के बावजुद संचिका वापस नहीं किया गया था।

11

अतः उक्त संचिका व अभिश्रव अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय तब तक व्यय राशि 336960/- अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।

19. द्वादश वित्त आयोग के तहत् कम्प्यूटर की खरीद

रोकड़बही के नमूना जॉच के कम में पाया गया कि चेक सं0 864671 दिनांक 20/01/2009 के द्वारा पितृ कम्प्यूटर पटना को 22800/- का भुगतान किया गया था, इस सम्बन्ध आवश्यक कागजात अंकेक्षण में जॉच हेतु नहीं प्रस्तुत किया गया जो निम्न है –

1. कम्प्यूटर खरीद की संचिका
2. अभिश्रव
3. भण्डार पंजी

साथ ही रोकड़ बही के अनुसार कम्प्यूटर संचालन के आवश्यक वस्तुयो का कय भी नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि जब से कम्प्यूटर की खरीद की गयी, उससे किसी प्रकार का उपयोग नहीं किया गया हैं। अंतः उपरोक्त सभी अभिलेख एक उपयोग सबन्धित वास्तविक स्थिति स्पष्ट किये जाने तक व्यय की राशि 22800.00 अंकेक्षण आपत्तिके अधीन रखी जाती है।

20. एक ही मजदूरों को दुबारा भुगतान (SJSRY)

योजना सं0 –	02/06–07 (स्व0ज0श0रो0योजना)
योजना का नाम	बनाही रोड़ से उतरी पूर्वी दिवाल तक नाला निर्माण कार्य।
अभिकर्त्ता का नाम	श्री सत्येन्द्र कु0 पाण्डेय, क0अभि0
प्रा0 राशि	76700/-
मापी की राशि	75592/-
योजना में व्यय	75592/-

अंकेक्षण टिप्पणी

योजना अभिलेख के नमूना जॉच के कम में पाया गया कि 10/03/07 से 18/03/07 तक जिन मजदूरों का कमांक 1 से 14 तक कार्य पर लगाया गया था, उन्ही मजदूरों को उसी अवधि में कमांक 15 से 28 तक कार्य पर लगाकर भुगतान दिखाया गया था। उक्त फर्जी मास्टर रौल को नगर पंचायत द्वारा पारित करने के समय अमान्य की जानी थी, जो नहीं किया गया था। इस प्रकार 12 मिस्त्री एवं 22 मजदूरो को दो बार भुर्गतान किया गया।

इस प्रकार, 2730/- (90 x12 , 75 x 22) रू0 का इस योजना में अनियमित भुगतान था। अतः 2730/- की वसुली जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय एवं कानुन सम्मत कारवाई भी की जाय ताकि भविष्य में इस की पुनवृति न हो।

110

21. **अग्रिम**

नगर पंचायत शाहपुर के द्वारा राष्ट्रीय गंदी बस्ती कार्यक्रम को छोड़कर सामान्य अग्रिम व अन्य योजनाओं के अग्रिम पंजी अंकेक्षण में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिय इस प्रकार रा0गं0व0का0 योजना को छोड़कर अन्य में कितनी राशि लम्बित था का वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

रोकड़ बही एवं प्रस्तुत अग्रीम पंजी के अनुसार मद वार निम्न राशि असमायोजित अग्रिम थी –

(क) **राष्ट्रीय गंदी वस्ती कार्यक्रम**

रोकड़ बही व अग्रिम पंजी के अनुसार विभिनन योजनाओं में निम्न असमायोजित अग्रीम था –

क0	चेक सं0	तिथि	राशि	यो0स0/वर्ष	अभिकर्त्त का नाम श्री/श्रीमती
1	0043205	24.06.02	7500/–	03/02–03	ललमुनीया देवी
2	0043204	– तदैव –	7500/–	02/ "	– तदैव –
3	0043208	– तदैव –	7500/–	06/ "	––
4	00432007	– तदैव –	7500/–	5/ "	मुन्ना पासवान
5	––	––	7500/–	02/06–07	सत्येन्द्र कु0 पाण्डेय क0अ0
6	––	––	7500/–	06/ "	– तदैव –
7	––	––	7500/–	07/ "	श्री नाथ तिवारी, क0अ0
8	––	––	7500/–	09/ "	– तदैव –
		कुल –	**60000/–**		

राष्ट्रीय गंदी वस्ती कार्यक्रम में कुल असमायोजित अग्रिम की राशि 60000/– की वसुली/समायोजन के लिए आवश्यक कदम उठाया जाय।

(ख) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का अग्रिम व योजना पंजी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

रोकड़बही के अनुसार उक्त मद में 2006–07 के पूर्व से 839500/– अग्रिम लम्वित था, जिसे रोकड़बही के शेष में असमायोजित अग्रिम के रूप संधारित था। अंकेक्षण में लिखित रूप में योजना व व्यक्ति बार सूची की मांग की जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराया गया था।

अतः उक्त असमायोजित अग्रिम की राशि 839500/– की वसुली/ समायोजन के लिए आवश्यक कदम उठाया जाय।

22. **<u>लेखा परीक्षा का परिणाम</u>**

लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षा परिणाम निम्नलिखित था –

~~(i)~~	~~अधिभार के अन्तर्गत वसूली हेतु सुझायी गयी राशि रु0~~	~~87010.00~~
(ii)	वसूली हेतु सुझाई गयी राशि	209881.00
(iii)	अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत राशि	975557.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट VII पर देखा जा सकता है।)

23. **कार्यपालक से वर्त्तालाप**

लेखा परीक्षा में उठाए गये बिन्दुओं पर समय–समय पर कार्यपालक पदाधिकारी से चर्चा की गयी।

24. **सामान्य अभ्युक्ति**

नगर पंचायत के लेखाओं में अत्यंत सुधार की आवश्यकता थी। वसूली लेखा में कार्यपालक पदाधिकारी का सर्वेक्षण नहीं पाया गया, जिसके कारण वित्तीय अनियमिताएँ हुई। मांग एवं वसूली पंजी, सरकार बही और प्रगति प्रतिवेदन नहीं तैयार नहीं किया गया। वकाया का सूची भी तैयार नहीं की गयी थी। नगर पंचायत में कर्मियो की कमी पाया गया। नगर पंचायत में योजनाओं की राशि को रोककर रखा गया, जिससे योजना का विकास कार्य वाधित रही। योजनावार निदेशानुसार योजना का चयन कर विकास की कार्रवाई की जाय।

(राजीव कुमार सिंह)
पर्यवेक्षक

(8

सं० स्था०ले०प/अधि० 2942 दिनांकः— 5.1.11

कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, शाहपुर को अग्रसारित एवं अनुरोध है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित त्रुटियों एवं अनियमिताओं को दूर करने हेतु बैठक आयोजित की जाए एवं प्रतिवेदन प्राप्ति के तीन महीने के अन्दर की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराये।

ह०

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/अधिभार
स्थानी लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना।

सं० स्था०ले०प/अधि० 2943 दिनांकः— 5.1.11

प्रति लिपि :–

1. जिलाधिकारी, आरा (भोजपुर)
2. प्र० सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना।
3. स०ले०प०अ० अधिभार अनुभाग

पंकज
04.01.11

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/अधिभार
स्थानी लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना।

7 (33)

परिशिष्ट - I

नगर पंचायत शाहपुर द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध कराये गये पंजी व अभिलेखों की सूची
(प्रतिवेदन की कंडिका 3 से संदर्भित)

क्र.	पंजी व अभिलेखों की सूची
01.	रोकड़ बही
02.	चेक पासबुक
03.	योजना अभिलेख (आंशिक)
04.	कर्मचारी अभिलेख (आंशिक)
05	फार्म एम. रसीद
06	विविध रसीद
07	अग्रिम आंशिक

सहायक
[illegible]

परिशिष्ट - IV

नगर पंचायत शाहपुर द्वारा रखी पंजी व अभिलेखों की सूची जो अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराई गई

(प्रतिवेदन के कंडिका 3 से सम्बन्धित)

क्र.	पंजिका व अभिलेखादि की सूची
01.	मांगना पंजी
02.	अग्रिम पंजी आंशिक
03.	मांगना अभिलेख - आंशिक
04.	भंडार पंजी
05.	[illegible] पंजी
06.	दैनिक वसूली पंजी
07	मांग व वसूली पंजी
08.	चैक पंजी
09.	अनुदान पंजी
10.	ऋण[illegible] पंजी
11.	[illegible]
12.	पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन

सु.प.

व.ले.प.

परिशिष्ट - III

2006-07 से 2009-10 तक नगर पंचायत शाहपुर के प्राप्त आवंटन का विवरणी
(प्रतिवेदन की कंडिका 8 पर संदर्भित)

क्र.	पत्र सं./तिथि	निर्गत प्राधिकार	मद	प्रा० राशि	व्यय	शेष	अभियुक्ति
	2006-07						
01.	397/20/7/06	उप. निदेशक [illegible]	स्थापना	[192476] 25,000	192476	–	वेतन मद में
	2007-08		-do-	[368385]	368385	–	"
01.	1547/5.6.06	-do-					योजना मद में व्यय
02	5674/19.12.07	प्र. सचिव, न.वि.वि.	12वाँ वित्त	531874	102960	428914	
03	856 —	"	विधायक मद	809160	—	809160	ट्रेजरी खजाना में जमा रोकड़ बही में संधारण नहीं
04	—	"	13वाँ वित्त	265938	250860	9138	योजना में व्यय
	2008-09						
01.	— —	प्र. सचिव ग्रामीण विकास	BRGF	822418	—	822418	09-10 तक व्यय नहीं
02.	4535 29/8/08	" " न.वि.वि.	पार्षद मद	61800	—	61800	को खजाना में जमा रोकड़ बही का उल्लेख नहीं है
03	05/06 9/7/09	" " न.वि.वि.	मुख्यमंत्री [illegible]	2887875	—	2887875	-do-
	09-10 27/8/09	" " ग्रा. वि. वि.	BRGF	770184	—	770184	09-10 तक व्यय नहीं रोकड़ बही में संधारण नहीं
01.	—			273420	—	273420	-do-
02	28/17/3/10	निदेशक न.वि.वि.	13वाँ वित्त	273420	–	273420	
03	41/27/3/10	-do-	-do-				-do-
04	30/19/3/10	-do-	पार्षद मद	61800	–	61800	

67,82,889

(4)

विवरणी IV

(5)

रा० गा० पं० विकास कार्यक्रम के रोकड़बही से योजना कार्य में किये गये व्यय का विवरण
(प्रतिवेदन की कंडिका 17 से संदर्भित)

क्र.	चेक सं.	तिथि	राशि	भुगतान पाने वाले का नाम	योजना सं.
01	0143251	11/9/07	20000/-	श्री ना०प० तिवारी का० अभियंता	8/06-07
02	0143252	23/11/07	30000/-	" शशीन्द्र कु० पाण्डेय क० अभि०	01/06-07
03	0143253	—do—	50000/-	—do—	03/06-07
04	0143254	—do—	15000/-	—do—	04/6-07
05.	0143255	—do—	50000/-	—do—	05/06-07
06.	0143257	3/1/08	40000/-	—do—	01/06-07
07	0143258	—do—	20396/-	—do—	03/06-07
08	0143259	—do—	19898/-	—do—	04/06-07
09	0143260	—do—	32829/-	—do—	05/06-07
10	0143261	3/2/08	25583/-	श्री ना०प० तिवारी क० अभि०	10/06-07
11	0143262	—do—	55509/-	—do—	11/06-07
12	0143263	4.7.08	22000/-	—do—	8/06-07
13	———	7/7/08	45000/-	" शशीन्द्र कु० पाण्डेय क० अभि०	1 & 6 / 06-07
14	———	"	37500/-	" ना०प० तिवारी क० अभि०	07-11 / 06-07
		योग —	463715/-		

ह०
का० अ०

परिशिष्ट V (37) 13

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किया नहीं गया बुक की रसीद का विवरण (प्रतिवेदन की कंडिका 14 पर संदर्भित)

क्र.	रसीद सं.	टिप्पणी
01	201-300	पूर्व जाँच प्रतिवेदन
02	701-800	"
03	401-500	"
04	301-400	"
05	101-200	"
06	501-600	31.3.10 के बाद अनुपयोगित
07	1001-1100	"
08	901-1000	"
09	601-700	"
10	801-900	"
11.	1101-1200	"

Only upto Sl. No - 11

[signature]
अं. प. प.

~~विवरणी / परिशिष्ट~~ :- IV

सम्बन्धित कर संग्रह करने / प्राप्त करने वाले कर्मचारी जिनके द्वारा गबन कर की राशि लेखा परीक्षा समाप्ति तक नहीं जमा किये जाने का विवरण

(प्रतिवेदन की कंडिका – 10 से संबंधित)

क्र.	रसीद सं.	तिथि	राशि	नहीं जमा करने वाले व्यक्ति का नाम सर्व श्री
01.	107	29.12.06	168.00	नारद मुनि त्रिपाठी, कर दारोगा
02.	205	28.4.07	396.00	— do —
03	498	21.1.10	1365.00	सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय, लेखपाल
04	499	— do —	1664.00	— do —
05.	500	— do —	3136.00	— do —
06.	567	31.3.10	224.00	— do —
07.	568	— do —	1064.00	— do —
08.	569	— do —	140.00	— do —
09	570	— do —	336.00	— do —
10.	571-576	— do —	3204.00	— do —
11	1101-1102	15.3.10	1088.00	— do —
12	601-665	23.1.10 – 26.3.10	29003.00	सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय द्वारा सुशील चौबे से प्राप्त
13	903-923	1.2.10 से 26 3/10	6872.00	सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय द्वारा प्रेम कुमार से प्राप्त
14.	701-752	13 2/10 से 27 2/10	15052.00	" " " " समुंजय पाण्डेय "
15	754-800	27 2/10 से 15 3/10	10330.00	" " " " " "
16	1001-1016	19 3/10 से 31 3/10	17056.00	" " " " " "
17	801-863	29 1/10 से 26 3/10	29043.00	" " " " हरिहर नाथ "
			120141=00	

[signature]

परिशिष्ट - VII (39)

लेखा परीक्षा परिणाम का विवरण
(प्रतिवेदन की कंडिका 22 से संबंधित)

क्र.	कंडिका क्र.	अधिभार द्वारा वसूली हेतु प्रस्तावित राशि	वसूली हेतु प्रस्तावित राशि	अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखी गयी राशि
01.	10	—	120141	—
02	13	—	—	152082.60
03	15	[87010]	87010	—
04	17	—	—	463715.00
05	18	—	—	336960.00
06	19	—	—	22800.00
07	20	—	2730	—
08	21 (क)	—	[60000]	—
09	21 (ख)	—	[839500]	—
		[87010]	[1022371] 209881=	975557.60

[signature]
व.ले.प.